न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 31/2011
GCMS No. : 2016/00523

–:: प्रार्थी ::–
1. प्रकाशी पुत्री हीरालाल
2. लीला पुत्री हीरालाल
जातियान– कलाल,
निवासीगण– ग्राम कुड़की, तहसील–
जैतारण, जिला–पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–
1. कमला पुत्री हीरालाल
2. दीपक कुमार पुत्र नरेन्द्र
जातियान– टाक, निवासी– राजाखेड़ी
डोली, तहसील– किशनगढ़, जिला–
अजमेर, राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 07/03/2011**

उपस्थितः–

1. श्री चावण्ड दान चारण, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, शाकिर हुसैन, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनाॅकः 05/11/2020**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा खिन्दावास पटवार क्षेत्र कुड़की तहसील जैतारण में सायलान एवं गैरसायलान की शामलाती खातेदार व कब्जे काश्त की कृषि भूमि वाके है जिसका विवरण निम्न है– खसरा नम्बर 277, रकबा 10–08 बीघा, किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 278, रकबा 5–06 बीघा, किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 279, रकबा 9–19 बीघा, किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 284, रकबा 12–11 बीघा, किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 285, रकबा 5–12 बीघा, किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 286, रकबा 8–04 बीघा, किस्म सेवज दोयम, कुल खसरा 6, कुल रकबा 52 बीघा, किस्म सेवज दोयम, लगान 38.40, उपरोक्त वर्णित आराजीयात सायलान व गैरसायला की पैतृक संयुक्त हिन्दु मुस्तरका खानदान की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा खिन्दावास पटवार हल्का कुड़की तहसील जैतारण में वाके है जिसके सायला व गैरसायलान काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित कृषि भूमि की जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2063 से 2066 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। सायलान व गैरसायला एक ही खानदान के पूर्वज के उत्तराधिकारी हैं।उपरोक्त अनुसार स्व छोगा वल्द उम्मेद जी के तीन जायन्दा पुत्र भभूत, मूला एवं हीरालाल हुये, जो छोगा जी की मृत्यु के पश्चात उनकी तमाम चल व अचल सम्पत्ति पर तीनों पुत्र काबिज हुये, सबसे बड़ा पुत्र भभूत जी के कोई सन्तान नहीं होने से प्रतिवादी संख्या दो छितरमल भभूत जी के दत्तक पुत्र के रूप में उनकी चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज है व उत्तराधिकारी है व मूलाराम के [illegible] पर उनकी चल व अचल सम्पत्ति पर बतौर उत्तराधिकारी के प्रतिवादी संख्या 03 [illegible] व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.11.12 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

प्रतिवादी संख्या 04 रामलाल काबिज है व हीरालाल के फौत होने पर उसकी चल व अचल सम्पति पर उसकी पत्नी नर्बदादेवी व तीन जायन्दा पुत्रीयां सायलान सं. एक प्रकाशी, सायलान सं. दो लीला व गैरसायला कमला काबिज हुये व उत्तराधिकारी है। वक्त सटलमेन्ट यानि दिनांक 15.10.1955 को सरहद मौजा खिन्दावास पटवार हल्का कुड़की तहसील जैतारण में वाके कृषि भूमि खसरा नम्बर 277, रकबा 10-08 बीघा, किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 278, रकबा 5-06 बीघा, किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 279, रकबा 9-19 बीघा, किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 284, रकबा 12-11 बीघा, किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 285, रकबा 5-12 बीघा, किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 286, रकबा 8-04 बीघा, किस्म सेवज दोयम, कुल खसरा 6, कुल रकबा 52 बीघा, किस्म सेवज दोयम, जिसका विवरण प्रार्थना पत्र के पद सं. एक में दिया गया है पर छोगा वल्द उम्मेद जाति कलाल निवासी कुड़की बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज होने से बाई ऑपरेशान ऑफ लॉ माफिक धारा 15 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्व. छोगा पुत्र उम्मेद खातेदार काश्तकार हुये, छोगा जी के नाम का बन्दोबस्त विभाग द्वारा पर्चा लगान जारी किया गया, मिसल बन्दोबस्त में छोगा का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज किया गया, उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि जिसे प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा, स्व श्री छोगा वल्द उम्मेद कौम कलाल निवासी कुड़की की खातेदारी व कब्जे काश्त कृषि भूमि थी इसके प्रमाण व साक्ष्य के रूप में वादग्रस्त कृषि भूमि की जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2018 से 2021 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। स्व. श्री छोगा जी का देहान्त आज से दिनांक 13.04.1963 हो गया, छोगा जी के देहान्त के बाद उक्त वादग्रस्त सम्पति उनके तीनों जायन्दा पुत्र भभूत, मूला व हीरा के नाम जरिये म्यूटेशन सं. 22 बतौर फौतेदगी व उत्तराधिकारी के दर्ज किया, जिसका अंकन जमाबंदी खतौनी सम्वत 2018 से 2021 में अंकित है उक्त फौतेदगी म्यूटेशन की प्रमाणित फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है इस प्रकार वादग्रस्त भूमि भभूत, मूला व हीरा को उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई एवं भभूत के फौत होने पर वादग्रस्त सम्पति के 1/3 हिस्से के उसके दत्तक पुत्र छीतरमल प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज की, वो 1/3 हिस्से की भूमि पर काबिज खातेदार काश्तकार है, श्री मूला के फौत होने पर उनकी 1/3 हिस्से की भूमि पर बतौर मूला के उत्तराधिकारी प्रतिवादी सं. 3 पूनमचन्द व प्रतिवादी सं. 4 रामपाल बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है व हीरा पुत्र छोगा का देहान्त वर्ष 1988 में हो गया, उनके फौत होने पर उनके उत्तराधिकारी पत्नी नर्बदा व तीन जायन्दा पुत्रीयां प्रकाशी, लीला व कमला उक्त चारों बतौर उत्तराधिकारी व खातेदार काश्तकार के काबिज हुए है व नर्बदादेवी दिनांक 24.01.2011 को फौत हो गई, जिसकी उत्तराधिकारी उसकी तीनों जायन्दा पुत्रीयां सायलान सं. एक प्रकाशी, सायलान सं. दो लीला, व गैरसायला सं. एक कमला हुई यानि वादग्रस्त भूमि की 1/3 हिस्से को काबिज खातेदार काश्तकार सायलान सं. एक व दो व गैरसायला कमला है। वादग्रस्त भूमि में सायलान सं. एक प्रकाशी का 1/9वां हिस्सा, सायलान सं. दो लीला का 1/9वां हिस्सा व गैरसायला कमला का 1/9वां हिस्सा की भूमि के काबिज खातेदार [illegible] सम्पूर्ण भूमि शामलाती है व एक ही खाता है सायलान व गैरसायलान [illegible] एक प्रतिवादी सं. 4 तक के मध्य वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar B
Date: 2020.11.12 12:22:19 IS
Reason: SelfAttested

नहीं हुआ है। सायलान सं. एक व दो व गैरसायला कमला के स्व. पिता हीरालाल को उसके पिता छोगा वल्द उम्मेद से उत्तराधिकार प्राप्त पैतृक वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से की भूमि पर सायलान व गैरसायला एवं नर्बदादेवी काबिज थी व काश्त करती थी नर्बदादेवी का देहान्त दिन 24.01.2011 को होने पर सायलान प्रकाशी, लीला व गैरसायलान कमला ने माफिक जाति रीति रिवाजों के अनुसार बारह दिन एवं गंगाजल किया, तथा हीरालाल व नर्बदादेवी की तमाम चल व अचल सम्पति की उत्तराधिकारी सायतान सं. एक, दो व गैरसायला कमला है, नर्बदादेवी की मृत्यु का प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। स्व हीरालाल की मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी उसकी पत्नी नर्बदादेवी व पुत्री सायला सं. एक प्रकाशी, सायला से दो लीला व गैरसायला कमला है जिनका ग्राम पंचायत कुडकी द्वारा दिनांक 1.03.2011 को जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। नर्बदादेवी की मृत्यु के समय बारह दिन होने पर सायलान सं. एक व दो ने गैरसायलान कमला को वादग्रस्त जमीन व जमीन जायदाद के बन्टवाड़ा का कहने पर दिनांक 09.02.2011 को गैरसायला कमला ने कडा कि– मैने स्व श्री हीरालाल वल्द छोगा जी के जीवनकाल में वादग्रस्त जमीन के 1/3 हिस्से का वसीयतनामा अपने अकेली के नाम लिखवा दिया, उक्त वादग्रस्त जमीन के 1/3 हिस्से की जमीन को मैंने अपने अकेली के नाम दर्ज करवा ली है तुम सायलान का कोई हक व हिस्सा नही इस पर सायलान को सर्व प्रथम इल्म हुआ कि गैरसायला कमला ने गलत रूप से वादग्रस्त भूमि में नाम दर्ज करवा लिया है तथा सायलान ने दिनांक 11.02.2011 को पटवारी हल्का से मालूम किया व तहसील कार्यालय जैतारण से वादग्रस्त जमीन की सम्वत् 2018 से 2021 की जमाबन्दी खतौनी व सम्वत् 2038 से 2041 की जमाबन्दी खतौनी एवं सम्वत् 2043 से 2046 की तथा सम्वत् 2047 से 2050 की प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी की प्रतियां प्राप्त की, जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है, जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। दिनांक 18.02.2011 को पटवारी हल्का कुइकी से वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी खतौनी व हीरालाल का म्युटेशन सं. 140 दिनांक 11.01.1989 मौजा खिन्दावास की प्रमाणित प्रति प्राप्त की, जो प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। वादग्रस्त कृषि भूमि स्व छोगा की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी उनके फौत होने पर उनके जायन्दा तीनों पुत्र भभूत, मूला व हीरा को बतौर उत्तराधिकार व विरासत में प्राप्त भूमि के आधार पर खातेदार काश्तकार हुये, उक्त वादग्रस्त भूमि स्व. हीरा वल्द छोगा की पैतृक कृषि भूमि थी हीरा की स्वअर्जित भूमि नहीं थी इसलिए हीरालाल को उक्त वादग्रस्त भूमि को वसीयत करने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं था हीरा का नाम उक्त वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से के खातेदार खाते में कर्ता खानदान व परिवार के मुख्या के रूप में दर्ज था जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से की भूमि स्व. हीरा उसकी पत्नी नर्बदादेवी व उसकी तीनों जायन्दा पुत्रीया सायलान सं. एक प्रकाशी, सायलान सं. लीला व गैरसायला कमला की संयुक्त हिन्द मुस्तरका खानदान की अविभक्त कृषि भूमि थी जिसको किसी प्रकार से मुन्तकिल व वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। हीरालाल ने अपने जीवनकाल में गैरसायला कमला व सायलान व गैरसायला कमला व नर्बदादेवी हीरालाल की अविभक्त हिन्द मुस्तरका खानदान की पैतृक भूमि को वसीयत करने का ना ही अधिकार था।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.11.12 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

मृतक हीरालाल की एक मात्र पुत्री बताकर वसीयत का हवाला देकर म्यूटेशन सं. 140/11.11.1989 मौजा खिन्दावास का भरवाकर पारित करवाया, उक्त म्यूटेशन सं. 140 जो अवैध व गैरकानुनी है तथा नल एण्ड बॉईड है व सायलान के हितों के बी विरूद्ध बेअसर व प्रभावी शून्य है इससे सायलान के हितों के विरुद्ध प्रभाव शून्य व गैर कानुनी व नल एण्ड बॉईड होने से उसे रद्द करने म्यूटेशन नं. 140 मौजा खिन्दावास बाबत् घोषणा सायलान गैरसायला के विरुद्ध प्राप्त करने की अधिकारी है। इसलिए दावा घोषणा रद्द करने म्यूटेशन बाबत् घोषणा खिलाफ गैरसायला के पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि जो सायलान के दादा छोगा की पैतृक संयुक्त हिन्दू मुस्तरका खानदान की अविभक्त शामलाती कृषि भूमि हैं के 1/9 हिस्से की सायलान सं. एक प्रकाशी व 1/9 हिस्से की सायलान सं. 1/9 लीला तथा गैरसायला कमला 1/9 हिस्से की रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है इस रूप में जमाबन्दी खतौनी में बतौर खातेदार काश्तकार के अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है व खातेदार काश्तकार है ऐसी घोषणा प्राप्त करने की सायलान अधिकारी है इसलिए दावा घोषणा खिलाफ गैरसायलान के पेश है। सायलान व गैरसायला सं. एक से प्रतिवादी सं. चार की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि बाद घोषणा सायलान सं. एक का 1/9 हिस्सा, सायलान सं. दो का 1/9 हिस्सा, गैसायला सं. का 1/9 तथा प्रतिवादी सं. दो का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. तीन का 1/6वां हिस्सा व प्रतिवादी सं. चार का 1/6वां हिस्सा की शामलाती जमीन का बाई मिण्टस् एण्ड बंटवाड़ा के मौके पनर हिस्सानुसार बन्टवाड़ा करवाया जाकर नेखमबन्दी, पत्थर गढ़ी करवायी जावें, माफिक बन्टवाड़ा सायलान, व गैरसायलान के हिस्से की भूमि के प्रत्येक के अलग-अलग खाता दर्ज किया जावें, मौके पर बन्टवाड़ा अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करवाया जावे, व हिस्सानुसार प्रत्येक का लगान अलग-अलग बांटा जावे, इस प्रकार तकास्मा आराजी की डिक्री सायलान प्राप्त करने की अधिकारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी बहक सायलान् विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। गैरसायला कमला ने स्वयं को स्व. हीरालाल के फौत होने पर एक मात्र पुत्री बताकर व वसीयतनामा बताकर गलत रूप से हीरा की भूमि में अपने अकेली का 1/3 हिस्से में नाम दर्ज करवा लिया है व सायलान को बस उनके हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की दिनांक 9.02.2011 को ऐलानिया धमकी दी कि उक्त भूमि मैने अपने अकेली का नाम जमाबन्दी खतौनी में दर्ज है इसलिए वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से की भूमि किसी अन्य व्यक्ति को बेचान, करने, रहने, खुर्द-बर्द करने पर भी आमादा है जबकि गैरसायला कमला को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है यदि गैरसायला द्वारा सायलान का वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया गया व वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में 1/3 हिस्सा का गलत इन्द्राज व रोन्ग एन्ट्री के आधार पर वादग्रस्त जमीन को किसी अन्य व्यक्ति या किसी सरकारी व अर्द्धसरकारी संस्था से ऋण लेने, बेचान, बख्शीश करने, मुन्तकिल व फरोख्त करने व खुर्द-बर्द या भारयुक्त कर दी तो सायलान को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर सम्भव नहीं है व गैरसायला कमला द्वारा ऐसा किया गया तो सायलान गैरसायला को ऐसा हरगीज नहीं करने देगी, जिसके टण्टा फसाद होगा, ऐसा होने पर सायलान को गैरसायला के विरुद्ध बार बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगें, जिससे मल्टी [illegible] होगी, तथा सायलान को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी [illegible] व नहीं है इसलिए सायलान, गैरसायला के विरुद्ध अस्थाई [illegible] प्राप्त करने की

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2020.11.12 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर सायलान सं. एक प्रकाशी अपने 1/9 हिस्सा व सायलान सं. 2 लीला अपने 1/9 हिस्से की भूमि पर काबिज खातेदार काश्तकार है। जिससे सायलान का प्रथम दृष्टयां मामला बखूबी साबित है तथा हीरालाल की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त भूमि सायलान को उत्तराधिकार के रूप से प्राप्त हुई है तथा अपने अपने हिस्से पर सायलान काबिज खातेदार काश्तकार है इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है इसलिए सायलान गैरसायला के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेज पेशा कर निवेदन है कि वादग्रस्त कृषि भूमि सायलान के दादा छोगा की पैतृक संयुक्त हिन्दू मुस्तरका खानदान की अविभक्त व शामलाती भूमि है जिसमें सायलान सं. एक का 1/9 हिस्सा, सायलान सं. दो का 1/9 व 1/9 हिस्सा गैरसायलान का है लेकिन राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर गैरसायला कमला वादग्रस्त भूमि किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करनेसरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्था से ऋण लेने, खुर्द-बर्द करने व सायलान को बेदखल करने पर आमादा है इसलिए गैरसायला को वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें, तथा अन्य कोई सहायता सायलान प्राप्त करने की अधिकारी हो तो दिलवाई जावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ एवं जवाब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि पद संख्या एक का जवाब यह है कि सरहद मौजा खिन्दावास पटवार क्षेत्र कुड़की, तहसील- जैतारण में गैरसायला की ही कब्जे खातेदार काश्त की कृषि भूमि आयी हुई है, जिस कृषि भूमि का विवरण सही होने से स्वीकार है, उक्त वर्णित कृषि भूमि पर गैरसायला कमला अपने सम्पूर्ण सागलाती भूमि में से 1/2 हिस्से पर काबिज खातेदार काश्तकार है। पद संख्या दो का जवाब यह है कि प्रार्थना-पत्र के पद संख्या एक में वर्णित उपरोक्त कृषि भूमि मूला व हीरा पिसरान छोगा जी ने खरीद की थी, मूला जी के तीन पुत्र पूनमचन्द, छीतरमल, रामलाल व हीरा जी के तीन पुत्रार्थी कमला, प्रकाशी व लीला है। गैरसायल छीतरमल ने जमाबन्दी में कपटपूर्ण भभूत का नाम दर्ज करवा कर, भभूत के गोद जाने का तथ्य बताया है, जो सरासर गलत व झूठा है, गैरसायल छीतरमल उक्त कृषि भूमि से ज्यादा हिस्सा हड़प करने की नियत से उक्त जमाबन्दी में अपने आप को भभूत के गोद जाना बताया है तथा छोगा के तीनों बेटों की कृषि भूमि बताकर कृषि भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहता है, जबकि गैरसायल छीतरमल मूला जी के हिस्से की कृषि भूमि का हकदार है। हीरालाल के फौत होने से पहले हीरालाल ने अपना हिस्सा व अपने हिस्से की समस्त चल व अचल सम्पत्ती अपनी बेटी गैरसायला कमला को दिनांक 19.02.1988 को वसीयत कर दे दी, क्योंकि गैरसायला कमला के पिता हीरालाल के जीवनकाल में अपनी चल व अचल सम्पत्ति को वसीयत करने का पूर्ण हक व अधिकार था और हीरालाल जी ने अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति अपनी बेटी कमला को दी क्योंकि गैरसायला कमला ने पिता हीरालाल जी व माता की सेवा की व अन्तिम श्वास तक माता-पिता के सभी सांसारिक धर्म के अनुसार क्रियाकलाप किये। हीरालाल जी के फौत होने के बाद हीरालाल जी की कृषि भूमि का म्यूटेशन 10.12.1988 को हीरालाल की पुत्री कमला के नाम से भरा गया तथा कमला अपने पिता की सम्पत्ति पर काबिज हुई व

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.11.12 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

आज दिन तक काबिज खातेदार काश्तकार है, वसीयत पर तत्कालीन संरपच श्री पुष्पेन्द्र जी कुड़की द्वारा पहचान की हुई है तथा वसीयत लिखने वाले के हस्ताक्षर है, उक्त वसीयत के अनुसार पटवारी ने म्यूटेशन भरा तथा जब कमला ने होश सम्भाला उक्त कृषि भूमि का उपयोग-उपभोग करते आ रही है तथा आज भी उक्त कृषि भूमि पर काबिज खातेदार काश्तकार है। वसीयत की फोटोप्रति जवाब के साथ पेश है। पद संख्या तीन का जवाब यह है कि उक्त कृषि भूमि हीरालाल जी व मूला जी के नाम से ही दर्ज थी, सम्वत् 2038-2041 की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ में पेश है, दिनांक 22.06.1985 को छीतरमल पुत्र भबूत के नाम म्यूटेशन दर्ज किया गया, जो कैसे दर्ज हुआ जमाबन्दी में उसका वर्णन नहीं है। प्रार्थना-पत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में हीरालाल जी की पुत्री गैरसायला कमला का 1/2 हिस्सा तथा मूला जी का 1/2 हिस्सा उनके उत्तराधिकारी गैरसायलान छीतरमल, पूनमचन्द व रामलाल का है। दिनांक 24.01.2011 को गैरसायला कमला की माता नर्बदा देवी के देहान्त होने पर गैरसायला कमला, अकेली पुत्री ने अपनी माता के सभी सांसारिक व धामिक कार्य पूरे किये, नर्बदा की बाकी दोनों पुत्रियां प्रकाशी व लीला अपने माता-पिता के सांसारिक धर्म क्रियाकलाप पूरे करने भी नहीं आयी और अब गैरसायला कमला की माता का देहान्त होने के बाद जमीन पर हक मांगने आकर ग्राम कुड़की खड़ी हो गई। जबकि हीरालाल जी फौत होने के पूर्व उनकी चल व अचल सम्पत्ति गैरसायला कमला को जरिये वसीयत दे दी, जो वसीयत कानूनी सही है, उक्त वसीयत पर तत्कालीन सरपंच पुष्पेन्द्रसिंह जी कुड़की व वसीयत लिखने वाले व्यक्ति जयसिंह जी के बतौर गवाह व मौजूदगी में लिखी व पूर्ण की गई है। पद संख्या चार का जवाब यह है कि वादग्रस्त भूमि पर गैरसायला कमला ने जब से अपने जीवनकाल में होश सम्भाला है तब से व हीरालाल जी के वसीयत के बाद अकेली ही कब्जा काश्त करते आ रही है, पद में वर्णित कथन कि सायला प्रकाशी व लीला भी कब्जा काश्त करते आ रही है, गलत होने से अस्वीकार है। गैरसायला कमला ने अपने पिता हीरालाल जी की मृत्यु के बाद अपने पिता के समस्त सांसारिक रिति-रिवाज से 12 दिन किये व समस्त खर्चा वहन किया तथा बाद में दिनांक 24.01.2011 को अपनी माता नर्बदा के मृत्यु के पश्चात् गैरसायला कमला अकेली ने ही अपनी माता के सारे सांसारिक रिति-रिवाजों के अनुसार 12 दिन पूर्ण किये एवं गंगाजल किया व समस्त खर्चा वहन किया। पद संख्या पाँच का जवाब यह है कि पद में किये गये कथन कि "नर्बदादेवी की मृत्यु के समय बारह दिन होने पर सायला संख्या एक व दो गैरसायल संख्या एक को वादग्रस्त जमीन व जमीन जायदाद के बन्टवारा का कहने पर दिनांक 09.02.2011 को गैरसायल संख्या एक कमला ने कहा कि मैंने स्व. हीरालाल वल्द छोगा के जीवनकाल में वादग्रस्त जमीन के 1/3 हिस्से का वसीयतनामा अपने अकेली के नाम लिखवा लिया" गलत होने से अस्वीकार है, जबकि गैरसायला कमला की माता नर्बदादेवी की मृत्यु होने पर सायला एक प्रकाशी व दो लीला आई ही नहीं तथा नर्बदादेवी के बाहर के दिन आई तथा आकर गैरसायला कमला से लड़ाई-झगड़ा किया तथा सायला एक व दो ने गैरसायला कमला को जान से मारने की धमकी दी तथा उक्त वादग्रस्त जमीन को छोड़कर जाने के लिए कहा। वादग्रस्त जमीन हीरालाल जी को वसीयत करने के सम्पूर्ण हक व अधिकार [illegible] प्रयोग करते हुए वसीयत गैरसायला कमला के पक्ष में लिखी तथा वसी[illegible] को [illegible]कालीन सरपंच श्री पुष्पेन्द्रसिंह जी कुड़की ने साक्ष्य दी तथा वसीयत लिखने वाले श्री [illegible] जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.11.12 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी

के हस्ताक्षर है, उक्त वादग्रस्त जमीन तथा हीरालाल जी की समस्त चल व अचल सम्पत्ती को गैरसायला कमला के पिता हीरालाल ने गैरसायला कमला के पक्ष में पूर्ण होशोहवाश के साथ दिनांक 19.02.1988 को लिखी व वसीयत की, जो सही होने से हीरालाल जी के फौत होने पर गैरसायला कमला के नाम म्यूटेशन भरा गया। पद संख्या छ का जवाब यह है कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि हीरालाल व मूला पिसरान छोगा की थी तथा उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में गैरसायला कमला के पिता हीरालाल जी का हिस्सा 1/2 है तथा 1/2 हिस्सा मूला जी के जायन्दा तीनों पुत्र पूनमचन्द, छितरमल व रामलाल का है । गैरसायला कमला के पिता हीरालाल जी को अपनी हिस्से की चल व अचल सम्पत्ति को वसीयत करने का पूर्ण हक व अधिकार था और गैरसायला कमला ने ही अपने पिता व माता की सेवा की तथा अपने माता–पिता के बारह दिन व गंगाजल किये जिसका सम्पूर्ण खर्चा गैरसायला कमला ने वहन किया, गैरसायला कमला ने अपने माता–पिता के लिए कपड़े, खाना, दवाईयां आदि अनेक कार्यो पर भी लाखों रूपये खर्च किये, सायलान प्रकाशी व लीला कभी भी अपने माता–पिता के यहां नहीं आयी तथा ना ही अपने माता–पिता की सेवा की। स्व. हीरालाल जी पुत्र छोगा जी ने अपनी बेटी गैरसायला कमला के नाम अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति को जरिये वसीयत दिनांक 19.02.1988 को दे दी है और उक्त वसीयत के आधार वादग्रस्त सम्पत्ति में गैरसायला कागला अपने पिता हीरालाल जी के फौत होने पर वसीयत के आधार पर म्यूटेशन भरा गया तथा सक्त कृषि भूमि व जायदार पर गैरसायला कमला अकेली काबिज है व खातेदार काश्तकार है जो वसीयत सही है। पद संख्या सात का जवाब यह है कि गैरसायला कमला ही उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज खातेदार काश्तकार है बाकी पद गलत होने से अस्वीकार है । पद संख्या आठ का जवाब यह है कि सम्पूर्ण पद गलत होने से अस्वीकार है, जबकि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में गैरसायना संख्या 1 कमला का 1/2 हिस्सा तथा गैरसायल संख्या 2, 3 व 4 का 1/2 हिस्सा है, गैरसायला अपने हिस्से 1/2 पर काबिज है व खातेदार काश्तकार है और इसी अनुसार गैरसायला संख्या 1 कमला व गैरसायल संख्या 2, 3 व 4 नक्शा ट्रेस में तरमीम करवाया जावे व हिस्सानुसार प्रत्येक का लगान अलग–अलग बांटा जायें। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में सायला प्रकाशी व सायला लीला का कोई हिस्सा नहीं है तथा सायलान को किसी भी प्रकार का हक व अधिकार नहीं होने से दावा खारिज योग्य होने से खारिज करने के आदेश फरमाया जावें। पद संख्या नौ का जवाब यह है कि सायलान के उक्त पद में सभी कथन गलत होने से अस्वीकार है जबकि गैरसायला कमला के पिता स्व. हीरालाल जी ने अपनी चल व अचल सम्पति की वसीयत लिखी तो उस वसीयत में स्पष्ट लिखा कि ''मेरे कोई जायन्दा पुत्र नहीं है व मेरे दो अन्य पुत्रीयां है जिनका मैंने विवाह वगैराह कर दिया है व मेरे पास नहीं रहती है'' स्व. हीरालाल जी ने अपनी वसीयत में स्पष्ट अपनी पुत्रियों के बारे में लिखा तथा जिस पुत्री गैरसायला कमला ने सेवा की उसको अपनी चल व अचल सम्पत्ति दी है, क्योंकि गैरसायला कमला ने अपने माता–पिता की देखभाल की, खाना दिया, कपड़े, दवाईयों का व अन्य सांसारिक व धार्मिक खर्चा किया तथा माता–पिता के देहान्त के पश्चात् बारह दिन पूर्ण किये, गंगाजल किया सभी सांसारिक क्रियाक्रम पूर्ण किये जिसका सम्पूर्ण खर्चा गैरसायला कमला ने वहन किया। गैरसायला कमला को उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि बेचने का, ...न ... का, काश्त करने का पूर्ण हक व अधिकार हासिल है तथा आज दिन तक गैरसायला कमला

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.11.12 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हो[illegible]द को पद संख्या में वर्णित सम्पूर्ण उक्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से पर काबिज है व खातेदार काश्तकार है तथा सायला का कोई कब्जा नहीं है तथा ना ही सायला खातेदार काश्तकार है, सायला प्रकाशी सायला लीला की नियत बद हो गई अपने माता-पिता के जीवनकाल में कभी भी अपने माता-पिता की सेवा करने नहीं आई तथा ना अपने माता-पिता के अन्तिम संस्कार, बारह दिन, गंगाजल, अन्य धामिक अनुष्ठानों में भाग लिया ना ही कोई खर्चा दिया अब जब गैरसायला कमला के माता-पिता का देहान्त हो गया है तो सायला प्रकाशी व सायला लीला की नियत बद हो गई तथा उक्त वाद करके प्रविसायला कमला को तंग व परेशान करना चाहती है। पद संख्या 10 का जवाब यह कि सम्पूर्ण पद आधारहीन, मनगढन्त व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है, जबकि गैरसायला कमला ही प्रार्थना-पत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि के अपने हिस्से सम्पूर्ण सामलाती कृषि भूमि का 1/2 हिस्से पर काबिज खातेदार काश्तकार है। अतः जवाब प्रार्थना-पत्र का पेश कर निवेदन है कि सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आधारहीन, मनगढन्त व झूठे तथ्यो पर आधारित होने से खारिज करने के आदेश फरमाया जावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का सूक्ष्म अवलोकन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन निम्नानुसार है :-

(1) प्रथम दृष्ट्यां मामला :- प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रार्थीगण अप्रार्थिया के मध्य वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय हाजा में जैरकार है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को अपने दादा छोगा की पैतृक संयुक्त हिन्दू मुस्तरका खानदान की अविभाजित व शामलाती कृषि भूमि मानते हुए उसमें अपनें जन्म से निहित हक के आधार पर दावा किया गया है। वहीं अप्रार्थीया का कथन है कि वादग्रस्त आराजी उसके पिता हीरालाल की थी, जिसे उन्हें वसीयत करनें का पूर्ण अधिकार था, तथा अपने पिता द्वारा दिनांक 19.02.1988 को उसके पक्ष में जारी वसीयत के आधार पर अप्रार्थिया वर्तमान में वादग्रस्त आराजी की अभिलिखित खातेदार एवं कब्जा-काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा वसीयत को विधि-विरुद्ध एवं प्रभावशून्य मानते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा किया है, साथ ही वाद निर्णय तक वादग्रस्त आराजी के संबंध में अप्रार्थिया के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। मूल दावे के अनुतोष पर गुणागुण के आधार पर कोई टिप्पणी किए बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अव्वल तो प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह विश्वास करनें का कारण उत्पन्न हो कि वादग्रस्त आराजी उनके दादा छोगा की पैतृक अविभाजित आराजी थी, द्वितीय चूंकि अप्रार्थीया वादग्रस्त आराजी की वसीयत से दिनांक 10.12.1988 से अभिलिखित खातेदार दर्ज है, यह अलग विषय है कि कथित वसीयत विधिसंगत थी या विधि विरुद्ध परंतु केवल प्रार्थीगणों द्वारा ऐसी वसीयत के संबंध में विधि विरुद्ध होनें का अभिकथन कर देनें मात्र से प्रथम-दृष्ट्यां मामला सिद्ध नहीं हो जाता है, जबकि प्रार्थीगणों द्वारा अपनें दादा छोगा के नाम [illegible] दस्तावेज [illegible] नहीं किया है। अतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थीगण हस्त[illegible] प्रक[illegible] में प्रथम-दृष्ट्यां मामला अपनें पक्ष में होना साबित करनें में [illegible] रहे [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2020.11.12 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

(2) सुविधा ***का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति*** :- सुविधा के संतुलन का सीधा संबंध वादग्रस्त आराजी से वर्तमान में सुख-सुविधा उपभोग से हैं, तथा कृषि भूमि के संबंध में इस कब्जा-काश्त से निर्धारित किया जा सकता है। प्रार्थीगणों ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं, जिससे यह विश्वास करनें का पर्याप्त आधार हो कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में वर्तमान में सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में विद्यमान हैं। इसके विपरीत अप्रार्थीया वादग्रस्त आराजी की दिनांक 10.12.1988 से अभिलिखित खातेदार हैं। अप्रार्थीयां के पक्ष में वादग्रस्त आराजी के संबंध में पास-बुक जारी हो रखी हैं, जिसकी संख्या 68 है, जिससे साबित होता है। कि अप्रार्थीया वादग्रसत आराजी की खातेदार हानें के साथ-साथ कब्जे-काश्त भी है। इस वादग्रस्त आराजी के संबंध में सुविधा का संतुलन प्रार्थिगणों के बजाय अप्रार्थिया के पक्ष में विद्यमान होना साबित होता है। इसी प्रकार अप्रार्थियां चुंकि वादग्रसत आराजजी की दिनांक 10.12.1988 से खातेदार-काश्तकार हैं, प्रथम-दृष्ट्यां मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थिगणों के पक्ष में साबित नहीं हुआ हैं, अतः यदि हस्तगृत प्रकरण में यदि प्रार्थीगणों के पक्ष में अस्थाई व्यादेश जारी नहीं किया जाता हैं, तो उनहें ऐसी कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी, इसके विपरीत ऐसा व्यादेश जारी करनें से खातेदार काश्तकार अप्रार्थिया को खातेदार के प्राथमिक अधिकारों के सुखपूर्वक उपभोग से महरूम होनों पड़ेगा अर्थात् अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीया को होना संभावित है। इस प्रकार संपूर्ण विवेचन से सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिंदू का प्रार्थीगण अपनें पक्ष में साबित करनें में पूर्णतया असफल रहें हैं।

उपर्युक्त बिंदूवार विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः हमारा स्पष्ट एवं विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया असफल रहें हैं तथा प्रार्थना-पत्र अस्वीकार करना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा-212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार किया जाता हैं। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 05/11/2020 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2020.11.12 12:22:19 IST
Reason: SelfAttested